मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur (M.P.)

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कुल./2023/ 256 जबलपुर दिनांक 12/01/2023

Revised Notification

-------000------

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों जिन्हें कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23/12/2022 एवं 11/01/2023 में संबद्धता/संबद्धता निरंतरता प्रदान की गई है, उन समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों (जिनमें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय के UG/PG पाठ्यक्रम संचालित हैं।) के लिये सत्र 2020-21 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं हेतु पंजीयन/(Registration) करने के लिये MP Online student registration portal पर पंजीयन हेतु **अंतिम बार अधिसूचना जारी की जाती है। जिन पैरामेडिकल कोर्स एवं नर्सिंग कोर्स की परीक्षा प्रारंभ हो गई है उन कोर्स के पंजीयन मान्य नहीं किये जावेंगे।**

उपरोक्त अधिसूचना में संशोधन कर नियमानुसार तिथी में वृद्धि की जाती हैं:-

S.No	तिथि से तिथि तक	कोर्स
1	12 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023	एम.एस.सी एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी
2	12 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023	एम.एस.सी एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी कोर्स को छोड़कर अन्य नर्सिंग/पैरामेडिकल

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें MP-Online Customer Care No: - 0755-6720200

नोटः-1. समस्त महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि पंजीयन (Registration) करते समय सम्पूर्ण जानकारी (जैसेः- विद्यार्थी का नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, महाविद्यालय/ब्रांच-कोर्स का नाम आदि) सभी सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें।

2. महाविद्यालय के विभिन्न कोर्सिस में प्रवेशित विद्यार्थियों कि आर्हता का वि.वि. एवं संबंधित अपेक्स काउंसिल के नियमों के अनुरूप पालन सुनिश्चित करना महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य कि जिम्मेदारी होगी।

3. विद्यार्थियों के आवश्यक मूल दस्तावेज जाँचने तथा महाविद्यालय में सुरक्षित रखने कि जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य की होगी तथा जब वि.वि. द्वारा किसी भी विद्यार्थी की जानकारी, मूलदस्तावेज मांगे जायेंगे उन्हें नियत दिवस के अंदर प्रस्तुत करने कि जिम्मेदारी अधिष्ठाता/प्राचार्य कि होगी अतः प्रवेशित विद्यार्थियों के किसी भी तरह के मूल दस्तावेज वि.वि. में जमा करने कि आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे दस्तावेजो कि वि.वि. द्वारा माँग नहीं की जाती।

4. इस अधिसूचना में उपलब्ध कराई गई तिथियों के दौरान महाविद्यालय के द्वारा आवंटित सीटो के विरूद्ध प्रवेशित किये गये जिन छात्रों का पंजीयन नहीं कराया जावेंगा और रिक्त Seats Lock हो जावेगी, उन रिक्त सीटो के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा यह माना जावेंगा कि रिक्त सीटो के विरुद्ध महाविद्यालय में कोई भी छात्र प्रवेशित नहीं हुआ है एवं इस रिक्त रहे स्थानों/सीटो के विरुद्ध किसी भी छात्र के संबंध में छात्र या महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार किसी भी आधार पर निषेध रहेगा।

05. वि.वि. से संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा संबंधित प्रवेश वर्ष में विद्यार्थियों के पंजीकरण के संबंध में संलग्ननुसार घोषणा पत्र जारी किया जायेगा।

06. महाविद्यालयों के छात्रों की पंजीयन/नामांकन फीस अधिनियम/परिनियम अनुसार देय होगी।

07. शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना कं. 138 एवं 139 दिनांक 05/01/2023 में शपथ पत्र जमा करने की दिनांक 11/01/2023 निर्धारित की गई थी उक्त तिथि में वृद्धि कर, शपथ पत्र का ईमेल एवं मूलप्रति दिनांक 15/01/2023 तक जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा Seats Lock मानी जावेगी।

07.छात्रों को पोर्टल में एडिट ऑपशन भी प्रदान किया जा रहा है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

कमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कुल./2023/ 256-A जबलपुर, दिनाँक 12/01/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्राचार्य, म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. कुलपति/कुलसचिव, कार्यालय, म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, कार्यालय, म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. बिजनिस हेड, एम.पी.ऑनलाईन भोपाल

12/01/2023

उपकुलसचिव(नामांकन)
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय